

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1824  
जिसका उत्तर 28 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है।

.....  
पंजाब में बाढ़

1824. श्री जसबीर सिंह गिल:

- क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या सितंबर-अक्टूबर, 2019 के दौरान पंजाब के मैदानों में बाढ़ आने के कारण फसलों, जानवरों को बहुत नुकसान हुआ था;
- (ख) यदि हां, तो इसके लिए पंजाब राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;
- (ग) क्या भविष्य में इस प्रकार की क्षति को रोकने के लिए सरकार के पास नदियों से नहरें निकालने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख) पंजाब राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य के कुछ क्षेत्र दक्षिण-पश्चिम मानसून-2019 के दौरान बाढ़ से प्रभावित हुए थे, जिससे फसलों, जानवरों आदि को नुकसान हुआ है। बाढ़ सहित अन्य बातों के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) को पहले ही राज्य सरकार के अधिकार में रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार एसडीआरएफ के तहत इस कोष में दिनांक 1 अप्रैल, 2019 को 6,262.11 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। गृह मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारत सरकार ने भी वर्ष 2019-20 के लिए एसडीआरएफ की केंद्रीय हिस्सेदारी की पहली किस्त 313.05 करोड़ ₹. (2018-19 के बकाया के रूप में 1 35 लाख रुपये की राशि सहित) जारी की इस प्रकार, आवश्यक राहत उपायों के प्रबंधन के लिए उनके एसडीआरएफ में 6,575.16 करोड़ उपलब्ध हैं। पंजाब राज्य 2 जापन प्राप्त होने से पहले मंत्रालयीय केंद्रीय दल गठित किया है और 12 13 सितंबर, 2019 तक राज्य का दौरा किया है। तथापि, राज्य ने बाढ़ के कारण हुए नुकसान के संबंध में एक विस्तृत जापन प्रस्तुत नहीं किया है ( ) ( ) बाढ़ प्रबंधन और कटाव निरोधी य , राज्य सरकारों द्वारा राज्य की प्राथमिकता के अनुसार अपने स्वयं के संसाधनों के साथ नियोजित, अन्वेषित और कार्यान्वित की जाती हैं। केंद्र क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों के प्रयासों बढ़ा भविष्य में इस तरह की क्षति को रोकने के लिए पंजाब सरव पंजाब की नदियों की नहरबंदी का कोई प्रस्ताव केंद्रीय जल आयोग को नहीं मिला है।

\*\*\*\*\*